2005:CGHC:4795-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

कैदी की अपील

न. – 2330 नाम हेमला लखु उर्फ लखमु पिता का नाम पांडु निवास ग्राम– कोठियापरा थाना – गंगालूर बीजापुर, जिला –बस्तर (म. प्र.) उम्र 25 वर्ष सजा आजीवन कारावास

दिनांक 24/1/1989 धारा अंतर्गत 302, 304 (1) भा. दं. सं. द्वारा– सत्र न्यायालय जगदलपुर

सत्र. विचारण. न. (1) 309/87 (2)310/87

कैदी को यह तर्क दी जाती है कि यदि वह कहता है या चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जाए तो अपील न्यायालय सात दिनों तक मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि विधि व्यवसायी उपस्थित न हो| यदि विधि व्यवसायी समय से पहले उपस्थित नहीं होता है तो उसे तब तक सुना जा सकता है जब कि कैदी यह न कहे कि वह विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता है तो न्यायालय मामले को तुरंत आगे बढ़ाएगा और उपस्थित होने वाले विधि व्यवसायी को सुनवाई देने के लिए बाध्य नहीं होगा|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि : 24/1/1989
2. प्रति प्राप्त होने की तिथि : 24/1/1989
3. अपील भेजने की तिथि : 31/1/1989
4. क्या कैदी दोबारा पेश होना चाहता है या नहीं : हाँ

न. 2330 नाम हेमला लखु उर्फ लखमु पिता पांडु जारी है – 26–6–87 से 23–1–89 जेल जगदलपुर न. 807 दिनांक 31/1/89

न्यायालय में रखे गए निर्णय या आदेश की प्रति के साथ जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाएगा या उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करने के पक्ष में होगा|

सूपरिन्टेन्डन्ट – जिला जेल

सी. जे. एम. कार्यालय में प्राप्ति की तिथि

साथ में दिए जाने वाले रिकार्ड की प्राप्ति की तिथि

अपील न्यायालय की अपील का ज्ञापन

न. 4/89 दिनांक 6/2/89

भेजा गया – सत्र न्यायालय जगदलपुर

2005:CGHC:4795-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 292/1989

हेमला लखु उर्फ लखमु

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायामूर्ति

माननीए श्री न्यायमूर्ति फखरूद्दीन

सही/–

फखरूद्दीन

न्यायामूर्ति

17. 06. 2005 के लिए सूचीबद्ध करें

2005:CGHC:4795-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक–292/1989

हेमला लखु उर्फ लखमु

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

कोरम: माननीए श्री फखरूद्दीन ,

माननीए श्री दिलीप राव साहेब देशमुख,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता **द्वारा** श्रीमती किरण सिंह, अधिवक्ता

राज्य द्वारा श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिलीप आर. देशमुख, न्यायाधीश के अनुसार

विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण गुणागुण पर सुना गया

2. श्री एन. पी. मेहर, सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 309 /1987 और सत्र विचारण क्रमांक 310/1987 में कुल्हाड़ी से लछिनधर की हत्या करने के लिए धारा 302 भा. दं. सं. के तहत और ग्राम किटियापारा गंगालूर, पी. एस. बीजापुर, जिला बस्तर मे 25. 06. 1987 को कुल्हाड़ी के हत्थे से पार्वती बाई की हत्या करके गैर इरादतन

हत्या करने के लिए धारा 304 (1) भा. दं. सं. के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद, आरोपी–अपीलकर्ता को धारा 302 भा. दं . सं . के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और धारा 304(1) भा. दं . सं. के तहत पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी), जिसके विरुद्ध आरोपी–आपीलकर्ता ने यह अपील पेश की है |

3. यह विवादित नहीं है कि मृतिका पार्वती बाई मृतक लछिनधर की पत्नी थी और सालिगराम (अ. सा. 1) मृतिका पार्वती बाई का भाई है|

4. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 25. 06. 1987 को पार्वती बाई अपने भाई सालिगराम अ.सा.1 के घर दाल पीसने गई थी | उसका पति मृतक लछिनधर भी वहां गया था | कुछ देर बाद आरोपी आया और लछिनधर से मुर्गा मांगा| लछिनधर ने कहा कि उसके पास केवल एक लड़ाकू मुर्गा है| आरोपी घर गया और कुल्हाड़ी लेकर आया और अपनी मांग पर अड़ा रहा| जब लछिनधर और उनकी पत्नी पार्वती बाई को अभियुक्त–अपीलकर्ता द्वारा उनके घर की ओर ले जाया जा रहा था, अभियुक्त ने लछिनधर की गर्दन पर टाँगिया से घातक प्रहार किया, जिससे गर्दन के बाऐं ओर 3"x 2 1/2" x 2" माप का एक फटा हुआ घाव हो गया, जो बाएं हसली के ठीक ऊपर था, जिसके किनारे स्पष्ट रूप से कटे हुए थे और बाऐं कैरोटिड धमनी कट गई थी| लछिनधर की मौके पर ही मौत हो गई| पार्वती बाई ने शिकायत की कि अभियुक्त ने उसके पति को क्यों मारा| अभियुक्त ने कहा कि वह उसे चुप करा देगा और टाँगिया के बोथरे भाग से उसकी नाक पर हमला किया, जिससे वह नीचे गिर गई| अभियुक्त ने पार्वती बाई के सिर पर टाँगिया से दो वार किए| पार्वती बाई सिर की चोट के कारण 27. 6. 1987 को मृत्यु हो गई | सालिगराम अ. सा. 1 ने अपने घर से पूरी घटना देखी और शांति बाई अ.सा. 2 ने पास के घर से घटना देखी| डॉ. ए. आर. गोटा अ.सा. 5, जिन्होंने पार्वती बाई का शव परीक्षण किया, उन्होंने बाएं टेंपोरल पर एक खरोंच का निशान, दायें कान के ठीक ऊपर **पार्श्विक** क्षेत्र लम्बवत में पाया जिसका माप ½"x 3/4" है और बाएं कान के पीछे और ऊपर बाऐं टेंपोरल पार्श्विक क्षेत्र पर 1 ¾ " x ¾ " माप का खरोंच, नाक की नोक पर ½" x ½" माप का कटा हुआ खरोंच पाया जिससे खून निकल रहा था उन्होंन राय व्यक्त की कि सिर पर चोट लगने के कारण मृत्यु हत्यात्मक थी, जो कि मृत्यु से पहले की प्रकृति की थी|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. घटना की तारीख यानी 25. 06. 1989 को शाम 7.30 बजे सालिगराम अ. सा. 1 ने थाना बीजापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी| लछिनधर के शव का शव परीक्षण डॉ. ए. आर. गोटा अ.सा. 5 ने किया था, जिन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श. पी–8 के अनुसार पाया कि लछिनधर की

 प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मौत बाऐं कैरोटिड धमनी से रक्तस्त्राव के कारण बेहोशी के कारण हुई थी, जो कि कट गया था| उन्होंने पाया कि चोट मृत्यु से पूर्व की थी और मौत हत्यात्मक प्रकृति की थी|

6. विवेचना के बाद दो अलग –अलग सत्र विचारण अर्थात लचिनधर की मृत्य से संबंधित सत्र विचारण. सं. 309/1987 और पार्वती बाई की मृत्य से सबंधित सत्र विचारण. संख्या 310/1987 दर्ज किए गए|

7. विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप विरचित किए गए| आरोपी ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया, लेकिन कोई साक्ष्य पेश नहीं किया |

8. विचारण न्यायालय चक्षुदर्शी गवाहों अ. सा. 1 सलिगराम और अ. सा. 2 शांति बाई की बयान और अ.सा. 5 एस डॉ. ए. आर. गोटा की बयान पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को लचिनधर की हत्या और पार्वती बाई की हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध कारित करने का दोषी ठहराया और दंडित किया जैसा कि पैरा 1 पूर्व में दिखाया गया है|

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र तर्क यह है कि अ. सा.1 मृतिका पार्वती बाई का भाई है, जो एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिय उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता| विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दोनों साक्षी अ. सा. 1 सालिगराम और अ. सा. 2 शांति बाई घटना को नहीं देख पाए थे क्योंकि वे घटनास्थल से काफी दूरी पर थे | हालांकि, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि, इस बात पर विवाद नहीं किया गया कि लछिनधर और पार्वती बाई की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दी कि प्रतिपरीक्षण में सलिगराम और शांति बाई की बयान अखंडनीय और विश्वसनीय थी, घटनास्थल के पास उनकी मौजूदगी स्वाभाविक थी और विचारण न्यायालय ने इस पर सही तरीके से भरोसा किया| उन्होंने आगे तर्क दी कि सालिगराम अ.सा. 1 की बयान को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह मृतिका पार्वती बाई का भाई था|

11. हमने आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है| हमने सत्र विचारण. सं. 309/1967 और सत्र विचारण. सं. 310/1987 के अभिलेख का भी अवलोकन किया है | हमने प्रस्तुत तर्क पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और सालिगराम अ. सा. 1 और शांति बाई अ. सा. 2 की बयान का भी बारीकी से अध्ययन किया है | घटना से ठीक पहले पार्वती बाई सालिगराम के घर दाल पीसने गई थी| यह घटना अपीलकर्ता द्वारा बहस के तुरंत बाद हुई थी, जब लछिनधर ने अपना लड़ाकू मुर्गा अपीलकर्ता को देने से इनकार कर दिया था| सालिगराम अ. सा. 1 की बयान से

यह पता चलता है के तब अपीलकर्ता अपने घर कुल्हाड़ी लेकर आया और लछिनधर का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर जाने लगा| पार्वती बाई ने उनका पीछा किया| साक्षी ने आगे बताया कि उसके घर से लगभग 40 कदम की दूरी पर अचानक अभियुक्त ने लछिनधर के गले पर कुल्हारी से वार किया जिससे लछिन्दर गिर गया, उसकी बहन पार्वती बाई द्वारा विरोध करने पर, आरोपी ने उसे चुप कराने के लिए पार्वती बाई की नाक पर टाँगिया से एक और वार किया,जिससे वह भी जमीन पर गिर गई| आरोपी ने पार्वती बाई के सिर पर टाँगिया से दो और वार किए| पार्वती बाई पर तीनों वार टाँगिया की बोथरे हिस्से से किया गए थे| इस प्रकार घटनास्थल के पास इस गवाह की उपस्थिति स्वाभाविक है| प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि वह अपीलकर्ता के खिलाफ कोई द्वेष रखता है ताकि उसे झूठा फंसाया जा सके | उसकी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी गवाही का खंडन हो सके |

12. दूसरी गवाह शांति बाई अ.सा. 2 जो पास के घर में रहती है| उसने भी यह बयान दी कि जब मृतक दंपति लछिनधर और पार्वती बाई अपने घर की ओर जा रहे थे, तो आरोपी पीछे से आया और लछिनधर की गर्दन पर टाँगिया से वार किया और पार्वती बाई द्वारा विरोध करने पर उसने पार्वती बाई की नाक पर टाँगिया के बोथरे हिस्से से वार किया और यह सब देखकर वह डर गई और नदी की ओर भाग गई| अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी तर्क के दौरान शांति बाई की बयान में कोई कमी नहीं ला पाए हैं| सालिगराम अ.सा. 1 और शांति बाई अ.सा. 2 ने एक दूसरे के बयान की पुष्टि की और अपीलकर्ता के अपराध को साबित किया| इन गवाहों को घटना देखने का अवसर मिला था और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी साबित हुई है| यह स्थापित विधि है कि किसी गवाह की बयान को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह उसका रिश्तेदार है, अगर वह प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरा है और विश्वास को प्रेरित करता है| इस मामले में, घटनास्थल के पास सालिगराम अ. सा. 1 और शांति बाई अ. सा. 2 की मौजूदगी स्वाभाविक है, उनकी बयान विश्वास को प्रेरित करती है क्योंकि यह प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी है| विद्वान विचारण न्यायालय ने पैरा 7 से 11 में उनकी बयान पर विचार किया है | हमने अ. सा. 2 शांति बाई की बयान पर गौर किया और पाया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए इस पर भरोसा करना सही ही किया है |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सिंह ने आगे तर्क दिया कि चूंकि पूरी घटना एक साथ हुई और चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने सत्र विचारण. संख्या 310/1987 में अपीलकर्ता को धारा 304 (1) भा. दं. सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है, जहां तक पार्वती बाई की मृत्यु का सवाल है, विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता को धारा 304 (1) भा. दं. सं. के तहत लछिनधर की मृत्यु का सवाल है, अपराध अधिकतम धारा 304 (1) के तहत आएगा, न कि 302 भा. दं . सं. के तहत |

14. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लछिनधर की हत्या पूरी सोच–समझकर और ठंडे दिमाग से की गई थी, क्योंकि अभियुक्त ने टाँगिया की धारदार धार से लछिनधर की गर्दन पर घातक प्रहार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्य हो गई थी|

15. हमने प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है| लछिनधर की हत्या आरोपी ने निर्दयता से की थी और टाँगिया से लछिनधर की गर्दन पर वार किया गया था| जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक मृतक लछिनधर का संबंध है, यह अपराध सीधे तौर पर भा. दं. सं. की धारा 302 के अंतर्गत आता है| जहां तक पार्वती बाई की मृत्यु का सवाल है, कोई अचानक या गंभीर प्रकोपन की वजह से नहीं हुआ | टाँगिया से घातक वार करके लछिनधर की हत्या करने के तुरंत बाद, आरोपी ने टाँगिया के बोथरे हिस्से से लछिनधर के सिर पर तीन वार किए | पार्वती बाई को चुप कराने के लिए उस पर हमला किया गया, पार्वती बाई की 27. 6. 1987 को चोटों के कारण मृत्यु हो गई| डॉ. ए. आर. गोटा अ. सा. 5 की चिकित्सीय राय से पता चलता है कि पार्वती बाई की मृत्यु उनके सिर में लगी मृत्युपूर्व चोटों के कारण हत्यात्मक प्रकृति की हत्या थी| पूरी घटना एक ही समय पर और मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुचाने के एक ही आशय से हुई थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी | इसलिये जबकि हम विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को खारिज करते हुए, हम विचारण न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि पार्वती बाई की मृत्यु का कारण बनने में अभियुक्त –अपीलकर्ता का कृत्य भा. दं. सं. की धारा 304 (1) के अंतर्गत आता है | पार्वती बाई की हत्या करने के लिए भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा इसपष्ट रूप से सामने लाया गया | विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के बाद जगदलपुर जेल से 15. 08. 2001 को रिहा किया जा चुका है और चूंकि राज्य ने पार्वती बाई की हत्या के अपराध के लिए धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

302 के तहत अपीलकर्ता को बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए हम इस बिन्दु पर आगे विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे |

15. परिमाणस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है |

सही/–	सही/–
फखरूद्दीन	दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायामूर्ति	न्यायामूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।